



पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

पत्र क्र. पमरे/कोटा/कार्मिक/एक्ट अप्रे/2020-21,

मंडल रेल प्रबंधक, कार्यालय
कार्मिक विभाग, कोटा
दिनांक : 16.03.2021

अधिसूचना

विज्ञापन क्रमांक 01/2021/कोटा मंडल

विषय: अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेन्टिस) की भर्ती पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल .

सन्दर्भ: मुख्यालय, जबलपुर का पत्र क्रमांक WCR/P-HQ/Rectt./122/Act.App.
दिनांक 08.01.2021.

* * * * *

अप्रेन्टिस एक्ट 1961 तथा अप्रेन्टिस नियम 1962 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल में 716 एक्ट अप्रेन्टिस की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में ऑन-लाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं. योग्य उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30.04.2021 तक www.mponline.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करें :-

1. अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु विभागवार निम्न कोटियों में प्रशिक्षुओं की भर्ती निम्नानुसार पदों पर होगी:-

कोटा मंडल के लिये एक्ट अप्रेन्टिसों का विवरण:

क्र.	ट्रेड	एक्ट अप्रेन्टिसों की संख्या					
		GEN	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
1.	इलेक्ट्रीशियन	55	20	10	36	14	135
2.	फिटर (यांत्रिक)	41	15	8	28	10	102
3.	वैल्डर (इलेक्ट्रिक एंड गैस)	18	6	3	12	4	43
4.	पेन्टर (जनरल)	30	11	6	20	8	75
5.	मेसन	25	9	5	16	6	61
6.	कारपेन्टर	30	11	5	20	7	73
7.	इलेक्ट्रॉनिक्स	12	5	2	8	3	30
8.	प्लंबर	23	9	4	16	6	58
9.	फोर्जर एंड हीट ट्रीटर (ब्लैकस्मिथ)	26	9	5	17	6	63
10.	वायरमैन	19	8	4	14	5	50
11.	कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	3	2	1	3	1	10
12.	मशीनिस्ट	2	1	0	1	1	5
13.	टर्नर	1	0	0	1	0	2
14.	लैब असिस्टेंट	1	0	0	1	0	2
15.	क्रेन ऑपरेटर	1	0	0	1	0	2
16.	ड्राफ्ट्समैन (यांत्रिक)	2	1	0	1	1	5
	कुल योग	289	107	53	195	72	716

- 1.1. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में लोको मोटर अक्षम या सेरेब्रल पॉल्सी (OH) के लिए 40 प्रतिशत से कम विकलांगता स्वीकार्य नहीं है. श्रवण विकलांगता के अभ्यर्थी जिनकी श्रवण की क्षमता 60 डेसिबल या अधिक हो, वह आवेदन के लिए पात्र होगा. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को 04 प्रतिशत आरक्षण देय होगा.

Sr.No.	Trades	Categories of disabled who could apply for engagement
1.	Fitter	OL, BL, LV, HH
2.	Welder (G&E)	OL, HH
3.	Electrician	OL, HH
4.	Carpenter	OL, HH
5.	Diesel Mechanic	OL
6.	Machinist	LV, OL, HH
7.	Painter (Gen.)	OL, HH
8.	Turner	OL, HH
9.	Electronics	OL, BL, HH

NOTE : OL = One Leg, BL = Both Les, LV = Low Vision, HH = Hard of Hearing

- 1.2. निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेंटिस हेतु भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चों तथा आर्म्ड फोर्स के जवानों के बच्चों हेतु 03 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे.
- क. प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे जिसमें शान्ति काल के दौरान प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल हैं.
- ख. भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे.
- ग. सेवारत जवानों के बच्चे.
- घ. सेवारत अधिकारियों के बच्चे.
- च. भूतपूर्व कर्मचारी.
- 1.3. प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित एक्ट अप्रेंटिसों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है.

2. आयुसीमा :

- 2.1. उम्मीदवार की आयु सीमा दिनांक 01.04.2021 को न्यूनतम 15 वर्ष होनी चाहिए तथा 24 वर्ष पूर्ण नहीं होना चाहिए.
- 2.2. अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष छूट है.
- 2.3. अ.पि.व. के उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में 03 वर्ष तक की छूट है.
- 2.4. शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट है.
- 2.5. निर्दिष्ट जाति प्रमाण-पत्र नियत अवधि से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.

3. शैक्षणिक योग्यता :

उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए. साथ में उम्मीदवार एनसीवीटी/एससीवीटी से मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. (10+ITI) होना अनिवार्य है. आवेदन की तिथि को निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है, प्रतीक्षित परीक्षा परिणाम वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे.

4. प्रशिक्षण अवधि :

डी.जी.ई.टी./फरीदाबाद एवं आर.डी.एस.डी.ई./जयपुर के नियमानुसार एवं रेलवे बोर्ड से जारी निर्देशानुसार.

5. पारिश्रमिक/स्टाईपेन्ड :

वर्तमान प्रचलित नियमानुसार बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा. कृपया आधार कार्ड एवं पेन कार्ड तैयार रखें.

6. आवेदन का तरीका :

6.1. आवेदन तथा बुलावा पत्र निर्धारित फार्मेट में निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेजों के साथ भरें.

ऑन –लाईन आवेदन शुल्क के रूप में रु. 100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 70/ + देय GST का भुगतान करना होगा. अजा/अजजा/शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क देय नहीं है. परन्तु पोर्टल शुल्क देय होगा. फीस Non refundable होगी.

6.2. प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदन करने से पूर्व नई वेबसाइट www.apprenticeshipindia.org

(NAPS Portal) पर पंजीकरण करना आवश्यक हैं. पंजीकरण करते समय पोर्टल में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि कक्षा 10वीं परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) की अंक सूची/प्रमाण-पत्र में दर्ज वर्तनी (Spelling) के अनुरूप ही होना चाहिए, जिससे भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन में असुविधा न हो. पंजीकरण के उपरांत उम्मीदवार को Apprentice Opportunities Tab में Establishment Name – DRM OFFICE KOTA , West Wentral Railway (E03160800021) को संबन्धित ट्रेड/कोर्स में Apply करना होगा. जिसका प्रिन्ट आउट दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा.

6.3. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आश्वस्त होना चाहिए कि वे आवश्यक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं. अपेक्षित योग्यता नहीं होने पर या गलत सूचना देने पर प्रशासन भर्ती के किसी भी स्तर पर आवेदन को रद्द करने का अधिकार रखता है तथा यदि भूलवश भी भर्ती हो गई हो तो उन उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के बर्खास्त कर दिया जाएगा.

7. अन्तिम तिथि:

ऑन लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30.04.2021 समय 23.59 बजे तक है. आवेदन-पत्र का प्रिन्ट-आउट लेकर हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें. जिसकी आवश्यकता स्क्रीनिंग के लिए बुलाए जाने पर होगी.

8. विशेष :

जिन पात्र उम्मीदवारों को मैरिट के अनुसार स्क्रीनिंग हेतु बुलाया जाएगा, उन्हें अपने साथ निर्धारित आवेदन-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. इनका सत्यापन प्रमाण-पत्रों की मूल

प्रतियों के साथ किया जाएगा, अतः प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां भी सत्यापन हेतु साथ में लाना आवश्यक है।

9. भर्ती की प्रणाली :

- 9.1. एक्ट अप्रेंटिसों का चयन 10 वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
- 9.2. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्रों तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिये बुलाया जाएगा।
- 9.3. उम्मीदवारों को रेलवे द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधूरे भरे गए, बिना उचित मुहर की, अस्पष्ट मुहर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होने वाले या किसी भी प्रकार से अधूरे मेडिकल प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं होंगे। प्रमाण-पत्र संलग्न निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करें।
- 9.4. सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता या यात्रा-भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- 9.5. होस्टल, आवास और भोजन सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार, प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को आवास एवं खानपान की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
- 9.6. सभी उम्मीदवारों का आधार कार्ड नंबर, पेन नंबर, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई डी होना आवश्यक है। समस्त सूचनाएं ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी। अतः स्वयं की ई-मेल आई.डी. होना आवश्यक है।
- 9.7. उम्मीदवारों की मैरिट सूची 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर जारी की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की सूची एम पी ऑनलाइन में अपलोड की जायेगी। कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- 9.8. यदि चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन होते हैं तो तदनुसार चयन का मापदण्ड अपनाया जायेगा।
- 9.9. एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद रेलवे में नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। यह केवल प्रशिक्षण योजना है।
- 9.10. एक्ट अप्रेंटिसों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 9.11. उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन-पत्र में दिए गए विवरण में किसी भी प्रकार की जानकारी गलत दिए जाने पर पात्रता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
- 9.12. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सेवाओं के लिए मान्य जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र संलग्न निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करें।
- 9.13. दस्तावेजों के सत्यापन के समय अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकारी प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। प्रमाण-पत्र संलग्न निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करें।
- 9.14. जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

9.15. यदि दो उम्मीदवारों के द्वारा मैट्रिक परीक्षा में समान अंक प्राप्त किए गए हैं तब अधिक आयु के उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा. यदि दोनों के मैट्रिक परीक्षा में समान अंक हैं तब पहले मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा.

10. ट्रेनिंग का करार :-


अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व चयनित उम्मीदवारों को या यदि अभी वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के साथ अप्रेन्टिसशिप का करार करना होगा एवं डीजीईटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा.

11. चिकित्सा परीक्षण :-

11.1. रेलवे द्वारा निर्धारित मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (राजपत्रित, जो केन्द्रीय/राज्य चिकित्सालय में असिस्टेंट सर्जन पद से नीचे न हो) प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु चयनित माना जाएगा. यदि वह शारीरिक दृष्टि से अनुपयुक्त हुआ तो उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी एवं कोई भी मुआवजा/कम्पन्सेशन नहीं दिया जाएगा.

11.2. प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षता करार समाप्त हो जाएगा. शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महानिदेशक/डायरेक्टर जनलर रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी. सफल उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा.

12. उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा. यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत/झूठी सूचनाएं दी है तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जायेगा.


कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(स्था.)
पश्चिम मध्य रेल, कोटा

प्रतिलिपि:- सर्वसंबंधित कोटा मण्डल.

रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर और भोपाल.

महाप्रबन्धक (कार्मिक),पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर ,

मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक), जबलपुर और भोपाल,

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, मडिमका-कोटा.

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, सडिपुका भोपाल.

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर(टीआरएस), तुगलकाबाद,

अखिल भारतीय एससी/एसटी एम्पलाईज एसोसिएशन, रेलवे स्टेशन कोटा जं.

मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, जबलपुर को प्रेस विज्ञप्ति हेतु सूचनार्थ.

प्रधानाध्यापक रेलवे प्राथमिक स्कूल (का) कोटा/पोस्ट कमांडर रे.सु.बल(का.)कोटा.

सचिव, वे.से.रे.म.संघ/वे.से.रे.ए.यू./ओ.बी.सी./एससी-एसटी एसो. (का.) कोटा.

क्षेत्रिय निदेशालय कौशल विकास एवं उद्यमिता(RDSDE), राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण केन्द्र (Women, N.S.T.I.

Campus), केन्द्रीय विद्यालय नंबर-3 के सामने, झालाना डूंगरी, जयपुर-302017.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी - एम.पी.ऑन-लाइन लिमिटेड भोपाल - 462001 .